REVIEW OF RESEARCH

बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने में विभिन्न कर बचत योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन (वेतनभोगी कर्मचारियों के विशेष संदर्भ में)

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

Dr. Vijay Grewal[1] and Ms Deepika Yadav[2]

[1]Assistant Professor, Commerce, Vaishnav Commerce College, Indore.
[2] Guest Faculty, Government MLB, Girl's Post Graduate College, Indore .

प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है साथ ही वर्तमान भी अच्छा बनाना चाहता है इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बचत करना आवश्यक है, किन्तु केवल बचत करना ही पर्याप्त नही है, उसका विनियोग करना और सही योजना में विनियोग करना भी महत्वपूर्ण है। बचत का विनियोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि व्यक्ति करदाता हो।आज कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमायी गयी आय पर कर नही देना चाहता अतः व्यक्ति यदि अधिक ब्याज या लाभांश वाले विनियोग के साथ–साथ कर नियोजन को भी ध्यान में रखे तो उसकी वास्तविक आमदनी में भी वृद्धि होगी तथा कर दायित्व भी कम होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 80C से 80U के अंतर्गत विशिष्ट विनियोगों तथा विनियोगो के ब्याज और लाभांश पर एक निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी बचत का विनियोग करते समय विभिन्न कर बचत योजनाओं को ध्यान में रखे, तथा श्रेष्ठतम योजना का चयन करे, तो उसे कर चोरी की आवश्यकता नही होगी तथा आय का सही दिशा में प्रयोग भी हो सकेगा।

शोध का उद्देश्य

उद्देश्य शोधकर्ता को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। अतः प्रत्येक शोध का भी निश्चित उद्देश्य होता है उद्देश्य विहिन शोध निरर्थक होगा। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य वेतनभोगी कर्मचारी के कर दायित्व को न्यूनतम करने में तथा बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने में विभिन्न कर बचत योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है।

शोध की परिकल्पना

जिस प्रकार बिना उद्देश्य के शोध कार्य प्रारंभ नही किया जा सकता उसी प्रकार बिना परिकल्पना के उसे कार्य रूप में परिणत नही किया जा सकता है परिकल्पना से ही शोध की दिशा निर्धारित होती है तथा शोधकर्ता को शोध क्षेत्र एवं सीमाओं का ज्ञान होता है। किसी भी शोध कार्य के पूर्व उस शोध के संबंध में कारण एवं परिणाम का पूर्व निर्धारण ही परिकल्पना कहलाती है। प्रस्तुत शोध पत्र निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है।

- कर बचत योजनाओं में निवेश से कर्मचारियों के कर भार में कमी आती है।
- कर नियोजन हेतु कर्मचारियों द्वारा कर बचत योजनाओं में निवेश किया जाता है।

शोध का क्षेत्र एवं सीमाएँ

प्रस्तुत शोध पत्र इन्दौर जिले के वेतनभोगी कर्मचारियों पर आधारित है। विभिन्न कर बचत योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करने हेतु इन्दौर जिले के शासकीय एवं गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत 100 कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिनमें 40 शासकीय कर्मचारियों तथा 60 गैर शासकीय कर्मचारियों को लिया गया है तथा यह अध्ययन वित्तीय वर्ष 2017–18 पर आधारित है।

किसी भी शोध कार्य को करने हेतु एक उपयुक्त एवं सुव्यवस्थित तरीके का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है, ताकि प्राप्त जानकारियों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय एवं सत्यता के निकट हो। प्रस्तुत शोध प्रपत्र हेतु विश्लेषणात्मक शोधविधि का प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए है। प्राथमिक समंक वेतन भोगी कर्मचारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा लिये गये है तथा द्वितीयक समंको को एकत्रित करने हेतु अनेक वेबसाइटों, आयकर विधान से संबंधित पुस्तकों, समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारियों का गहन, अध्ययन किया गया है तथा इन समंको के आधार पर शोध कार्य से प्राप्त परिणामों को

निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कर बचत योजनाएँ

कर बचत योजनाएँ वे योजनाएँ है जिनके माध्यम से एक करदाता अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने में सफल होता है इस संदर्भ में आयकर के अंतर्गत ऐसी विभिन्न निवेश योजनाओं का प्रावधान है, जिनमे निवेश करके करदाता करयोग्य आय में एक निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त कर सकता है और अपने कर भार में कमी कर सकता है।

महत्वपूर्ण कर बचत योजनाओं का संक्षिप्त विवरण –

- **जीवन बीमा पॉलिसी**– जीवन बीमा योजना विनियोग का सबसे सरलतम साधन है जिसमे बीमा एवं निवेश दोनों के लाभ प्राप्त होते है वर्तमान समय में निवेशकों द्वारा अपनी बचत के निवेश हेतु विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसियों को प्राथमिकता दी जाती है क्योकिं ये विनियोग का ऐसा सशक्त माध्यम है जो निवेशकों को उसके जीवित रहते हुए तो सुरक्षा प्रदान करता ही है साथ ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन देता है। जीवन बीमा पॉलिसी में विनियोग केवल बचत, विनियोग एवं सुरक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है बल्कि कर नियोजन एवं कर बचत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संचालित विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसीयों की प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक कटौती योग्य है साथ ही जीवन बीमा की परिपक्वता राशि एवं बोनस धारा 10 (10D) में निश्चित शर्तो के अधीन कर मुक्त होती है।
- **सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)**– सार्वजनिक भविष्य निधि एक महत्वूपर्ण योजना है जिसकी शुरूआत वित्त मंत्रालय ने 1968 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है यह सरकार की एक सुरक्षित एवं सरल बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा, मुख्य डाक घरों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों में PPF खाता खुलवाया जा सकता है यह खाता मात्र 100रू. के प्रारंभिक अंशदान से खुलवाया जा सकता है PPF एक 15 वर्षीय योजना है जिसमें प्रतिवर्ष 500रू. से लेकर अधिकतम 150000रू. तक एकमुश्त या किश्तों में जमा कराये जा सकते है। PPF खाते का ब्याज धारा 10 (11) के अंतर्गत कर मुक्त है तथा प्रतिवर्ष किये गए अंशदान धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य है।
- **राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII निर्गमन)**– राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भारत सरकार की बचत योजना है इन प्रमाण पत्रों को किसी भी विभागीय डाकघर से खरीदा जा सकता है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र VIII निर्गमन 100 रू. से अधिक की किसी भी राशि के लिए 100रू. के गुणज में खरीदे जा सकते है इन प्रमाण पत्रों में किये गए विनियोग तथा इन पर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम 150000 रू. तक कटौती योग्य है।
- **इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ELSS)**– इक्विटी लिंक्ड बचत योजना एक डायवर्सिफाइड इक्विटी फण्ड है जो अपने अधिकतम कॉर्पस को इक्विटी में निवेश करता है इस योजना के अंतर्गत निवेश पर तीन साल का लॉक इन पीरियड रहता है अर्थात किये गए निवेश को तीन साल तक भुनाया नही जा सकता है लंबी अवधि का निवेश होने के कारण इस योजना में किये गए निवेश पर अधिक प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना रहती है इस योजना में निवेशित राशि भी धारा 80 C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।
- **बैंक सावधि जमा योजना –** एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए जमा की गई राशि ही सावधि जमा कहलाती है सावधि जमा देश के लोकप्रिय बचत साधनों में से एक है यह निवेश का आसान और सुरक्षित तरीका है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित बैंक में केन्द्र सरकार की योजनानुसार अधिसूचित स्थायीजमा खाते में 5 वर्ष या इसके अधिक के लिए जमा रकम 150000रू. तक की अधिकतम सीमा तक धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना –** यह केन्द्र सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने एवं पालकों को उनकी शिक्षा एवं विवाह की चिंता से मुक्त करने हेतु प्रारंभ की गई लघु बचत योजना है। इस योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाता अधिकृत डाकघर व अधिकृत बैंक में अभिभावक द्वारा अपनी बेटी के नाम से खुलवाया जा सकता है यह खाता न्यूनतम 250 के आरंभिक जमा से खुलवाया जा सकता है तथा प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000रू. से लेकर 150000रू. तक की राशि किश्तों में या एकमुश्त जमा कराई जा सकती है। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर प्रति तिमाही परिवर्तित होती रहती है इस खाते में किया गया वार्षिक अंशदान (अधिकतम 150000रू.) तक धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य है। तथा ब्याज एवं परिपक्वता राशि करमुक्त है।

कर बचत योजनाओं में कर्मचारियों की निवेश प्रवृत्ति –

इन्दौर जिले के 100 वेतन भोगी कर्मचारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार पर यह पाया गया कि 69 कर्मचारियों द्वारा अपनी बचत को सुरक्षित रखने तथा निश्चित प्रतिफल प्राप्त करने हेतु जीवन बीमा की पॉलिसियों का चयन किया गया। 50 कर्मचारियों ने विनियोग के सुरक्षित एवं न्यूनतम जोखिम वाले राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का चयन किया। 23 कर्मचारियों ने सरकार की लोक भविष्य निधि योजना में निवेश किया। 10 कर्मचारियों द्वारा इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, 41 कर्मचारियों द्वारा बैंकों एवं डाकघरों में संचालित पंचवर्षीय सावधि जमा एवं 20 कर्मचारियों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को चुना गया । 49 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होने विनियोग हेतु एक से अधिक कर बचत योजनाओं का चयन किया । इस अध्ययन में शामिल कर्मचारियों में 25 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होने जीवन बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा डाक घरों में संचालित पंचवर्षीय सावधि जमा तीनों में अपनी बचत को विनियोजित किया। 7 कर्मचारी ऐसे भी थे जिन्होने जीवन बीमा पॉलिसी के साथ इक्विटी लिंक्ड कर बचत कोष में विनियोग किया। 15 कर्मचारियों ने जीवन बीमा पॉलिसी के साथ लोक भविष्य निधि को विनियोग हेतु चुना तथा 2 कर्मचारियों ने अपनी बचत को विनियोजित करने के लिए लोक भविष्य निधि, डाकघर की पंचवर्षीय सावधि जमा योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजना तीनों योजनाओं का चयन किया ।

शासकीय तथा गैर शासकीय कर्मचारियों की विभिन्न कर बचत योजनाओं में निवेश की प्रवृत्ति

योजनाएँ	शासकीय कर्मचारी		गैर–शासकीय कर्मचारी		कुल कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
जीवन बीमा पॉलिसी	28	70.0	41	68.3	69	69.0
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र	14	35.0	36	60.0	50	50.0
सार्वजनिक भविष्य निधि	0	0	23	38.3	23	23.0
डाकघर पंचवर्षीय सावधि जमा योजना	11	27.5	30	50.0	41	41.0
इक्विटी लिंक्ड बचत योजना	02	5.0	08	13.3	10	10.0
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	08	20.0	12	20.0	20	20.0

उपसंहार

बचत को प्रोत्साहित करने एवं बचत को सही दिशा प्रदान करने में कर बचत योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बचत करना न केवल व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए अपितु वह एक अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए ताकि वह भविष्य की अनिश्चितताओं से स्वयं तथा परिवार की रक्षा कर सके । इन बचतों का सही योजना मे निवेश कर बचत योजनाओं ने संभव बनाया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत वर्णित विभिन्न कर बचत योजनाओं के माध्यम से वेतनभोगी कर्मचारी बचत एवं निवेश हेतु प्रेरित होता है तथा ये कर बचत योजनाएँ कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुई है।

अंत मे सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाली अन्य कर बचत योजनाओं जैसे – यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, सुपरएनुएशन फण्ड, म्यूचुअल फण्ड, नाबार्ड के अधिसूचित बॉण्डस में अंशदान आदि का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति इन योजनाओं से अवगत हो सकें तथा विभिन्न कर बचत योजनाओं की कटौती योग्य सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि नए विनियोगकर्ता भी इन योजनाओं में विनियोग करने हेतु आकर्षित हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ''आयकर विधान एवं लेखे''– डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस. पी. गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
- ''आयकर विधि एवं व्यवहार''– श्रीपाल सकलेचा, अनित सकलेचा, सतीश प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स।
- ''डायरेक्ट टैक्सेस रेडी रेकनर''– बी. के. सिंघानिया, एशिया लॉ हाउस।
- ''आयकर गाइडलाइन एण्ड मिनी रेडी रेकनर''– नाभि पब्लिकेशन
- ''कर नियोजन एवं प्रबंध'' – श्रीपाल सकलेचा, अनित सकलेचा, सतीश प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
- व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी
- https://hindi.planmoneytax.com
- www.poonjibazar.com
- https://hindi.goodreturn.in
- https://www.moneycontrol.com